न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण

अजित कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी– ग्राम छतरपुर, जिला छतरपुर, म0प्र0 ––– आवेदक

बनाम

1. सरमना पुत्र भग्गू ढीमर निवासी– ग्राम बगोता जिला छतरपुर,
2. म0प्र0 शासन ––अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी (अदिनांकित) एवं की गयी सीमांकन कार्यवाही पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील व जिला छतरपुर प्रकरण कमांक अ–3/2014 व उनवान सरमना बनाम म0प्र0 शासन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदक कमांक 1 द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदनपत्र ग्राम बगौता पटवारी हल्का नं0– 37 के खसरा नम्बर 1266/9 रकवा 1.635 हैक्टर के तरमीम हेतू प्रस्तुत किया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3937/दो/2015 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	[illegible]	
5.1.16 ~~-12-2015~~	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदक अनावेदक द्वारा करायी गयी सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक है तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह इस सीमांकन कार्यवाही से किस प्रकार से प्रभावित है। उक्त तथ्यों को स्पष्ट करने में आवेदक अधिवक्ता भी तर्क के समय असफल रहे हैं। अतः विचारोपरांत उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का समुचित एवं पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। 5.1.16 सदस्य	
M		